

सं. ई/551/ 1 /2018-आरटीआई

12 दिसम्बर 2018

सेवा में,

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना**

महोदय,

कृपया वित्त मंत्रालय को संबोधित दिनांक 20.11.2018 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, तथा जिसे इस विभाग को 4 दिसम्बर 2018 को प्राप्त हुआ।

2. आपके द्वारा बिंदु संख्या 1 पर माँगी गई जानकारी चीन के संदर्भ में शून्य है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर डॉ अमित तेलंग, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,



(प्रसन्न श्रीवास्तव)

उप सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली



स. 11/47(07)/2018-आरटीआई

वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग  
आरटीआई प्रकोष्ठ

लोक नायक भवन, खान मार्केट  
511, पांचवा तल, ए विंग,  
नई दिल्ली  
दिनांक 20.11.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:

दिनांक :

दिनांक ।

982403

निदेश हुआ है। आवेदक को 10/- रुपये का भुगतान किया है।

2. चूंकि विषय-वस्तु D/o Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare, Cabinet Secretariat व D/o Economic Affairs से संबंधित है, सूचना सीधे आवेदक को प्रस्तुत किए जाने के अनुरोध के साथ उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन हस्तांतरित किया जाता है। अंतिम उत्तर की एक प्रति रिकार्ड के लिए आरटीआई प्रकोष्ठ, व्यय विभाग को भी पृष्ठांकित की जाए।

982403/18-RTI  
20/11/18

स. 11/47(07)/2018-आरटीआई

उमाशंकर ठाकुर

(उमाशंकर ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24654593

सेवा में,

1. श्री आशीष कुमार, अवर सचिव (आर.टी.आई.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर्थिक मामले विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. Shri Gajendra Singh, Director & CPIO, D/o Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Under Secretary & CPIO, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi - 110004.

प्रतिलिपि सूचनार्थ: Shri Varinder Singh, 355, Jassian Road, Friends Colony, Ludhiana - 141008, को इस मामले में अतिरिक्त जानकारी के लिए उपर्युक्त लोक प्राधिकारी से संपर्क करने के परामर्श के साथ सूचनार्थ।

50-R2

Form-A

R.T.I Act 2005 Section 6(a) अधीन सूचना पत्र

सेवा से

सूचना अधिकारी  
Ministry of Finance India  
New Delhi

DY. NO. 982403

11/11/2018

OFFICE OF THE  
FINANCE MINISTER  
13 NOV 2018  
RECEIVED

विषय -> R.T.I Act 2005 अधीन सूचना ।  
श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि कुदरती आबर, बाढ़ आदि  
आने पर भारत ने पिछले पांच वर्षों दौरान जिस-2 देश  
से आर्क, कहां कितनी राशी को मदद की। देश का  
नाम और राशी बताई जाये।

2) श्रीमान जी, भारत से पिछले पांच वर्षों दौरान कहां-2 कुदरती  
आबर, बाढ़ आदि कहां-2 आर्क। और किस राशय को  
कितना Fund दिया। बताया जाये।

3) श्रीमान जी, Aadhar card का Contract जो हुआ, कितने सेक्टरों  
Post Changer, web site, data, सब कितने से जिस Company को  
दिया बताया जाये।

4) श्रीमान जी, कितने Aadhar card भारतीयों के बने कितना पैसा  
Company को दिया। Statement की कापी दी जाये। आपका  
धन्यवाद है।

तिथि -> 5-11-18 Address ->

Whatsapp no -  
98767-73638

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक आदेश का मूल्य 10 रुपये है।



**भारतीय पोस्टल आर्डर**  
**INDIAN POSTAL ORDER**

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO \_\_\_\_\_ को

दस रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



भारत गणराज्य  
3A October

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

**₹ 10**

कमीशन COMMISSION रुपये 1 RUPEE  
(मूल्य 10 रुपये का डाक आदेश पर 1 रुपये का मूल्य है।)

SENDE

AT THE POST OFFICE AT \_\_\_\_\_

के डाकघर में भेजें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस स्थान के नीचे मत लिखें DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

46F 226789

